

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग-2

संख्या-795/V-2-2015-55(आ0)/2006-टी0सी0
देहरादून : दिनांक 23 अक्टूबर, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा-5 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य के विनियमित क्षेत्रों में एकीकृत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) को अधिसूचना सं0-508/V-आ0-2015-55(आ0)/2006टीसी दिनांक 12-6-2015 द्वारा निर्गत किया गया है।

2- उक्त उपविधि/विनियम में उल्लिखित फार्म हाउस से सम्बन्धित प्रस्तर-7.17 में निम्नानुसार संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है -

(X) फार्म हाउस

बिन्दु संख्या	भवन उपविधि 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानक	संशोधित मानक
प्रस्तर 7.17	(ii) भू-आच्छादन अधिकतम भू-आच्छादन 6 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 600 वर्गमीटर, जिसमें आवासीय इकाई, फार्म मशीनरी, पशुशाला, स्टोर, सर्वेन्ट क्वार्टरों आदि क्रियाओं हेतु अनुमत्य होगा तथा जिसमें आवासीय इकाई तथा सर्वेन्ट क्वार्टरों हेतु कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 03 प्रतिशत आच्छादन अनुमत्य होगा।	(ii) भू-आच्छादन अधिकतम 20 प्रतिशत, परन्तु 1000 वर्गमीटर (मैदानी क्षेत्र) एवं 600 वर्गमी0 (पर्वतीय क्षेत्र) से अनाधिक हो तथा जिसका तीन-चौथाई क्षेत्र आवासीय गतिविधि व शेष एक-चौथाई क्षेत्र फार्म मशीनरी, पशुशाला, स्टोर, सर्वेन्ट क्वार्टर आदि हेतु अनुमत्य किया गया। भवन के स्टिल्ट अन्तर्गत फार्म मशीनरी, पशुशाला, स्टोर आदि का प्रावधान किये जाने पर इसकी गणना आच्छादन/भवन की ऊँचाई में सम्मिलित नहीं होगी।
	(iv) सेटबैक : मुखण्ड की सीमा रेखा से भवन की दूरी, गार्ड रूम को छोड़कर, कम से कम 15.0 मीटर होगी।	(iv) फार्म हाउस हेतु अग्र सेटबैक 15.0 मीटर (गार्ड रूम को छोड़कर) तथा शेष सभी ओर से सेटबैक न्यूनतम 7.50 मीटर रखा जाय।
	(v) पहुँच मार्ग : फार्म हाउस के लिए पहुँच मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा पर्वतीय क्षेत्र में पैदल मार्ग होने की स्थिति में मार्ग चौड़ाई न्यूनतम 2.0 मीटर आवश्यक है।	(v) पहुँच मार्ग : फार्म हाउस हेतु पहुँच मार्ग मैदानी व पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम कमशः 6.00 मीटर एवं 4.00 मीटर होगा। विशेष परिस्थिति में मार्ग चौड़ाई में गुण-दोष के आधार पर स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा 25 प्रतिशत की शिथिलता दी जाय।

(डी0एस0 गब्र्याल)
सचिव

संख्या 1795/v/-2-2015-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना एवं संलग्न भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) को असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 के सम्बन्धित खण्ड में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- (2) आयुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
- (3) समस्त जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तराखण्ड को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) की प्रति सहित प्रेषित।
- (4) वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- (5) गार्डबुक/एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

(डी0एस0 गार्ब्याल)
सचिव